FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of ....

Office of the District Collector

*****

No.....5658

Dated..20/11/15.

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that **54.639** hectare of forest land proposed to be diverted in favour **of** WESTARN KOL FILD LIMITED PECH ARIYA PARASIYA (name of user agency) for under ground coal mining operation (purpose for diversion of forest land) for under ground coal mining in Chhindwara district falls within jurisdiction of **gram JAMUNIYA PATHAR, forest land 54.639 hect., forest compartment no. P 8.26/1, P 58, P 60, P137, P 202, P 248 & P 260, Block JAMUNIYA PATHAR of forest rang PARASIYA** village(s) in PARASIYA.......tehsils.

It is further certified that :

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... that **gram JAMUNIYA PATHAR, forest land 54.639 hect., forest compartment no. P 8.26/1, P 58, P 60, P137, P 202, P 248 & P 260, Block JAMUNIYA PATHAR of forest rang PARASIYA** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ..1..to ..... annexure.....7.....

(b) the proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who eligible under the FRA;

(c) the each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **JAMUNIYA PATHAR** village(s) is enclosed as **annexure ..1..to annexure ...7....**

(d) the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;

(e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;

(f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encls.: As above. gram sabha processeding.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

पंचायत की बैठकों की कार्यवाही की पुस्तक		स्वीकृत प्रस्तावों की तामील का रजिस्टर		
प्रस्ताव	ठहराव	स्वीकृत प्रस्ताव क्र. तथा दिनांक	विवरण	तामील क्या हुई
1	2	3	4	5
प्रस्ताव क्रमांक (13)	मनरेगा अपूर्ण कार्यो पर चर्चा बाबद	प्रस्ताव क्र. (13)	ग्राम पंचायत जमुनियापठार में बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें मनरेगा के अपूर्ण कार्यो को शीघ्र पूर्ण करने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा अनुशंसा प्रदान की गई है। एवं प्रस्ताव पारित किया गया है।	
प्रस्ताव क्रमांक (14)	मोक्ष धाम (शांतिधाम) निर्माण की स्वीकृति बाबद	प्रस्ताव क्रमांक (14)	ग्राम पंचायत जमुनियापठार में मोक्ष धाम (शांतिधाम) नदी के पास शासकीय जमीन पर मोक्ष धाम बनाने हेतु प्रस्ताव पारित किया गया।	
प्रस्ताव क्रमांक (15)	वन अधिकार के भूमी में हितग्राहियों को पट्टा न उपलब्ध के सम्बंध में प्रस्ताव बाबद	प्रस्ताव क्र. (15)	ग्राम पंचायत जमुनियापठार में W.C.L. भूमि के अंतर्गत विभागीय आवेदन प्राप्त हुआ। जिसमें ग्राम जमुनियापठार के ग्रामवासियों द्वारा बताया गया कि जमुनियापठार में किसी भी हितग्राहियों को वनअधिकार के पट्टा प्राप्त नहीं हुआ है। इस हेतु प्रस्ताव सर्व सहमति से पारित किया गया।	

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 INDIA पाँच रुपये — CANCELLED — CANCELLED

TRUE COPY

सचिव
ग्राम पंचायत, जमुनिया पठार
जनपद पंचायत, परासिया

सरपंच
ग्राम पंचायत, जमुनिया पठार
जनपद पंचायत, परासिया

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

CANCELLED

CANCELLED

दिनांक 8/10/2015

क्र.	ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर
1	नारायण	
2	अनिल कुमार नागवंशी	
3	प्रेमनारायण नागवंशी	
4	सुमेरचंद नागवंशी / नन्दुलाल गोहिया	
5	~~सिरकुमारि नागवंशी~~	
6	[illegible]	
7	सुशील नागवंशी	[signature]
8	~~चन्द्रसेन चौबे~~	[signature]
9	उर्मिला [illegible]	
10	कविता लांजीवार	
11	दुलारी नागवंशी	
12	सुगना खोबरे	
13	[illegible] / [illegible] नागवंशी	[illegible]
14	~~[illegible] नागवंशी~~	
15	[signature]	[signature]

सत्यप्रतिलिपि

सचिव ग्राम पंचायत, जमुनिया [illegible] जनपद पंचायत, पांढुर्णा

TRUE COPY

क्र	ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर
16	आलोक कुमार नागवंशी	[signature]
17	कैलाश उइके (प्रधानाध्यापक)	[signature] 28/10/18
18	सिरभा उइके	सिरभा उइके
19	सुखमन नागवंशी	सुखमननागवंशी
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

सचिव
ग्राम पंचायत, जमुनिया पठार
जनपद पंचायत, पारासिया

TRUE COPY

5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

CANCELLED

CANCELLED

कार्यालय ग्राम पंचायत जमुनिया पठार
जनपद पंचायत परासिया
जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र)

प्रमाणित किया जाता है कि :–

1. डब्ल्यू सी .एल. पेंच क्षेत्र की कोयला खदान जमुनिया भूमिगत खान में कोयला उत्खनन एवं उत्खनन से जुड़े संबंधित कार्यो के लिये राजस्व वन भूमियों की स्वीकृति किया जाना प्रस्तावित है। पंचायत क्षेत्र ग्राम जमुनिया पठार के आश्रित/राजस्व वन क्षेत्र के ख.न. 8,26/1,58,60,137,202,248,260 कुल रकबा 54.639 हे. में उक्त भूमि में व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है।

2. वनभूमि में व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वननिवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत पात्र वननिवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है। प्रस्ताव का परीक्षण एवं उस पर चर्चा ग्राम सभा की बैठक दिनांक 8.10.2015 को की गई है जिसमें सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित हुये।

3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करता है कि व्यपवर्तन के लिये आवेदित वन भूमि के संपूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वननिवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत औपचारिकताओं एवं प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।

4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्यो से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है अतः ग्राम सभा एतद् द्वारा उक्त अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्नः– ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही विवरण की छायाप्रति।

उपसरपंच ग्राम पंचायत जमुनिया पठार	सरपंच सरपंच ग्राम पंचायत,जमुनिया पठार जनपद पंचायत परासिया जमुनिया पठार	सचिव सचिव ग्राम पंचायत जमुनिया पठार जनपद पंचायत परासिया जमुनिया पठार

CANCELLED

TRUE COPY

Parasia

स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रति,

श्रीमान तहसीलदार महोदय
परासिया

विषयः— ग्राम जमुनिया पठार में वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत अधिकारों के विनिश्चियन के संबंध में।

महोदय जी,

निवेदन है कि ग्राम जमुनिया पठार प.ह.न. 29 रा.नि.म. सिरगोरा तहसील परासिया व जिला छिन्दवाड़ा के अंतर्गत ग्राम में खसरा कमांक 8, 26/1, 58, 60, 137, 202, 248, 260, रकबा कमशः 3.027, 10.391, 0.809, 8.543, 9.895, 17.509, 3.493, 0.972 राजस्व वन भूमि है। उक्त खसरा न. पर वनाधिकार अधिनियम के तहत भूमि का पूर्व में पट्टा प्रदाय नही किया गया है। एवं कोई वनाधिकार दावा ग्राम मे शेष नही है। वे.को.लि. पेंच क्षेत्र परासिया द्वारा वनमंडल छिन्दवाड़ा (सा) पश्चिम वन परिक्षेत्र परासिया के राजस्व वन भूमि खसरा कमांक 8, 26/1, 58, 60, 137, 202, 248, 260, रकबा कमशः 3.027, 10.391, 0.809, 8.543, 9.895, 17.509, 3.493, 0.972, हे.कुल रकबा 54.639 हे. क्षेत्र राजस्व वन भूमि पर भूमिगत पद्धति से वेस्टर्न कोल फील्डस लिमीटेड, पेंच एरिया परासिया जिला छिन्दवाड़ा द्वारा कोयला उत्खनन की स्वीकृति हेतु वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानो के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।

आवेदित क्षेत्र के संबध में प्रतिवेदनानुसार आवेदित क्षेत्र 369.940 हे. में से 54.639 हे. राजस्व वनभूमि, 13.716 हे. राजस्व भूमि एवं 301.585 हे. निजी भूमि प्रतिवेदित है। उक्त भूमियों में से राजस्व वन भूमि रकबा 54.639 हे. भूमि को वनाअधिकार अधिनियम 2006 के तहत वे.को.लि. पेंच क्षेत्र परासिया को कोयला उत्खनन हेतु प्रदाय किये जाने हेतु स्थानीय ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पूर्व में ही किया जा चुका है। आवेदित राजस्व भूमि को आवेदित उपयोग हेतु प्रदाय किये जाने पर ग्रामवासियों को कोई आपत्ति नही है। अतः वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है।

प्रतिवेदन सेवार्थ प्रस्तुत है।

पटवारी
हल्का नंबर 29
जमुनिया पठार

TRUE COPY

कार्यालय तहसीलदार परासिया, जिला छिन्दवाड़ा

प.क्र./ /तह/2015 परासिया, दिनांक /11/2015

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी,
परासिया

विषय :– वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अधिकारों के विनिश्चियन के तहत अनापत्ति बाबद।
संदर्भ :– कलेक्टर महोदय छिन्दवाड़ा द्वारा दूरभाष पर दिनांक 16.11.2015 को दिये गये निर्देशानुसार।

---00---

विषयांतर्गत प्रतिवेदन है कि ग्राम जमुनिया पठार रा.नि.म. परासिया तहसील परासिया व जिला छिन्दवाड़ा के अंतर्गत वे.को.लि. पेंच क्षेत्र द्वारा वनमंडल छिन्दवाड़ा(सा) पश्चिम से वन परिक्षेत्र परासिया के राजस्व वन खसरा क्रमांक 8, 26/1, 58, 60, 137, 202, 248, 260, रकबा क्रमशः 3.027, 10.391, 0.809, 8.543, 9.895, 17.509, 3.493, 0.972, हे.कुल रकबा 54.639 हे. क्षेत्र राजस्व वन भूमि पर भूमिगत पद्धति से वेस्टर्न कोल फील्डस लिमीटेड, पेंच एरिया परासिया जिला छिन्दवाड़ा द्वारा कोयला उत्खनन की स्वीकृति हेतु वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानो के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है।

आवेदक क्षेत्र के संबध में हल्का पटवारी से स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन लिया गया। प्रतिवेदनानुसार आवेदित क्षेत्र 369.940 हे. में से 54.639 हे. राजस्व वन भूमि, 13.716 हे. राजस्व भूमि एवं 301.585 हे. निजी भूमि प्रतिवेदित है। उक्त भूमियों में से राजस्व वन भूमि रकबा 54.639 हे. भूमि को वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वे.को.लि. पेंच क्षेत्र को कोयला उत्खनन हेतु प्रदाय किये जाने हेतु स्थानीय ग्राम सभा ग्राम जमुनिया पठार द्वारा प्रस्ताव पूर्व में ही प्रस्तुत किया जा चुका है। आवेदित राजस्व वन भूमि, आवेदक को कोयला उत्खनन करने हेतु उत्खनि पटटा प्रदाय किया जा सकता है। जिसमें किसी को कोई आपत्ति नही है।

प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

तहसीलदार
परासिया

TRUE COPY
Tahsildar
Parasia

5 रु. COURT FEE Rs.5 INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES
CANCELLED
CANCELLED

प्रतिलिपी आवेदन पत्र क्र 253 दिनाँक 30/7/16 के अनुसार न्यायालय अधिकारी परासिया के प्र. क्र. 3861 18/11/16 दिनाँक की प्रमाणित सत्यप्रतिलिपी।

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(रा.)परासिया,जिला छिन्दवाड़ा

ज्ञापन

क्रमांक /385/री–1/अविअ 2015, परासिया,दिनांक 16/11/2015

प्रति,

श्रीमान कलेक्टर महोदय,
(खनिज शाखा)
छिन्दवाड़ा(म.प्र.)

विषयः– छिन्दवाड़ा जिले के पश्चिम वनमंडल वनपरिक्षेत्र परासिया में स्थित राजस्व वन भूमि कुल रकबा 54.639 हे. भूमि पर कोयला उत्खनन हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

संदर्भः– कलेक्टर महोदय छिन्दवाड़ा द्वारा दूरभाष पर दिनांक 16.11.2015 को दिये गये निर्देशानुसार।

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें जिसके माध्यम से छिन्दवाड़ा जिले के परासिया वनपरिक्षेत्र के ग्राम जमुनिया पठार में स्थित राजस्व वन भूमि क्षेत्रफल 54.639 पर कोयला उत्खनन हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में। वे.को.लि. पेचं क्षेत्र परासिया द्वारा कोयला उत्तखनन हेतु स्वीकृति बाबत् अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में परीक्षण कर प्रतिवेदन चाहा गया है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में तहसीलदार परासिया द्वारा संदर्भित पत्र के माध्यम से प्रतिवेदन मंगाया गया है। उनके द्वारा अपने जांच प्रतिवेदन में बताया गया है कि आवेदित क्षेत्र ग्राम जमुनिया पठार तहसील परासिया जिला छिन्दवाड़ा में स्थित भूमि खसरा नंबर 8, 26/1, 58, 60, 137, 202, 248, 260, रकबा क्रमशः 3.027, 10.391, 0.809, 8.543, 9.895, 17.509, 3.493, 0.972, हे.कुल रकबा 54.639 हे. क्षेत्र राजस्व वन भूमि है। उपरोक्त भूमि पर वे.को.लि. पेंच क्षेत्र परासिया द्वारा कोयला उत्खनन किये जाने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वे.को.लि. पेंच क्षेत्र परासिया को कोयला उत्खनन हेतु प्रदाय किये जाने हेतु स्थानीय ग्राम सभा के द्वारा प्रस्ताव पूर्व में पारित किया जा चुका है। तहसीलदार के जांच प्रतिवेदन अनुसार प्रस्तावित भूमि कोयला खनन हेतु वे.को.लि.पेंच क्षेत्र परासिया को नियमानुसार प्रदाय किया जाना प्रतिवेदित है।

प्रतिवेदन अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

CANCELLED

CANCELLED

TRUE-COPY

18/11/15

अनुविभागीय अधिकारी
परासिया